उंदावली नारायण राव

बनाम

आन्ध्र प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 594/2004)

24 जुलाई, 2009

(डॉ. मुकुंदकम शर्मा एवं डॉ बी .एस. चौहान, जेजे.)

दंड संहिता, 1860 सेक्शन 498 ए के अन्तर्गत पत्नी द्वारा आत्महत्या की गई। धारा 498 ए के अन्तर्गत आरोपी पति को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने माना कि दोषसिद्धि उचित थी। वहाँ दहेज के लिए जबरदस्ती उत्पीड़न और यातना दी जाती थी। पति या सास द्वारा मतृका के परिवार को मृत्यु बाबत् सूचित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। बिना किसी शव परीक्षण के जल्दबाजी में मतृका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से इस दावे का साबित करने के लिए कोई चिकित्सकीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि पत्नी पहले से बीमार थी एवं उसकी स्वाभावित मौत हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू करने में देरी का स्पष्टीकरण दिया गया। आरोपी के नाबालिग बच्ची ने अपने पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए झूठी गवाही दी और वह केवल एक "प्रशिक्षित गवाह" थी। निचली अदालतों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत कोई दृष्टिकोण अपनाने को कोई ठोस कारण नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता एक आदतन शराबी था जो कि अपनी पत्नी को अधिक दहेज के लिए लगातार परेशान करता था, और उसे मानसिक एवं शारीरिक यातना देता था और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करता था। अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था एवं उसे 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अपीलकर्ता की सजा को इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु पेट दर्द; से होने वाली एक प्राकृतिक मृत्यु है।

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अपीलकर्ता की पत्नी की पेट दर्द के कारण स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, और इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों ने डी. डब्ल्यू. 01 पर अविश्वास करके गलती की है। अपीलकर्ता की नाबालिग बेटी जिसने अपीलकर्ता के पक्ष में गवाही दी, पक्षकारान के बीच एक समझौते निष्पादन के अनुसार उत्पीडन या क्रूरता की कोई शिकायत नहीं थी, दहेज की लिए कभी कोई मांग नहीं की गई थी और मृतका के परिवार द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई थी। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. आईपीसी की धारा 498ए में जोड़े गए स्पष्टीकरण से ही क्रूरता को परिभाषित किया गया है। धारा 498ए की मूल सामग्री क्रूरता और उत्पीड़न है। धारा 498ए के तहत आरोप घर लाया जा सकता है यदि खंड (ए) या (ब) या दोनों में आवश्यक सामग्री विधिवत स्थापित पाई जाती है। (पेरा 11) (669-C-D, H; 670-A)

एस. हनुमंता राव बनाम एस. रामानी एआईआर 1999 एस-सी- 1318; वी भगत बनाम श्रीमती डी भगत एआईआर 1994 एससी 710; मोहम्मद होशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2002) 7 एससीसी 414; श्रीमती राज रानी बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) एआईआर 2000 एससी 3559; सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत एआईआर 2005 एस-सी- 3100 और गिरधर शंकर तावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 2002 एससी 2078 संदर्भित।

2.1. तत्क्षण मामले में अभिलेख पर है कि दहेज जो अपीलकर्ता को पारित हुआ था, उसमें 50,000 रूपये नगद, 3.00 एकड खेती की भूमि और 6.00 एकड आम का बाग सहित 50 तोला सोना और 2 किलोग्राम चांदी शामिल थी। यह भी अभिलेख पर है कि विवाह के लगभग दो साल बाद मृतका को अपीलकर्ता और उसकी माँ द्वारा परेशान किया जा रहा था। उसमें एक मांग थी कि उसके नाम की संपति बेच दी जावे और मृतका को अपनें माता-पिता से और अधिक पैसे लानें के लिए कहा गया। मृतका को अपीलकर्ता द्वारा पीटा गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। मृतका नें अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से शिकायत की कि अपीलकर्ता हमेशा नशे में रहता था और उसके साथ बुरी तरह से व्यवहार करता था।

हाँलाकि, समुदाय के व्यस्क सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद इस मामले को सुलझा लिया गया एवं दिनांक 14.03.1990 को एक समझौता इस प्रभाव से निष्पादित किया गया कि पति और पत्नी द्वारा स्वामित्व में रखे गई अचल संपति को उनके बच्चों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और उनमें से कोई भी उनके नाम पर किसी भी संपति का किसी भी हिस्से का विक्रय नहीं करेगा। हाँलाकि, उन्हे इसका सुखाधिकारी प्राप्त होगा। कुछ समय बाद, अपीलकर्ता और उसकी मां ने मृतका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह उक्त समझौते का उल्लंघन करते हुए जमीन को अलग कर दे और उसे अपने माता पिता से पैसे लाने चाहिए। अपीलकर्ता की मां ने भी मृतका को धमकी दी कि यदि वह भूमि के उक्त हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं हुई, तो वह अपने बेटे की दूसरी लड़की से दोबारा शादी कर देगी। मृतक ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, हालाँकि उसे उसके परिवार के सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया था और अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों के परामर्श से और कुछ अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से विवाद शांत हो गया था। इस बात का संकल्प लिया गया कि भविष्य में कोई झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद, जब मृतक के परिवार के सदस्य हैदराबाद गए तो वह मृत पाई गई

और अगले दिन बिना किसी पोस्टमार्टम के और उसके परिवार के सदस्यों को कोई सूचना दिए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब मृतक के परिवार के सदस्य आए और अपीलकर्ता से मिले, तो उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों ने विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, और मामले की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी और उस विचार के लिए अपीलकर्ता और उसकी माँ ने अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की कि मृतका की संपति मृतका की एकमात्र संतान के नाम पर हस्तांतरित की जाए। इसके परिणाम स्वरूप Ex.P. 2 दिनांक 15 जून, 1999 को नोटरीकृत हुआ जो कि अपीलकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी डी.डब्ल्यू 1 के बीच बंटवारे का दावा किया। उस बटवारे के अनुसार, लगभग 11.69 एकड जमीन बेटी को दी गई थी। कुछ समय बाद, मृतका के परिवार के सदस्योaa को पता चला कि बच्ची के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं हो रहा था, इसलिए अपीलकर्ता के परिवार के पास बच्ची को अपने पास लाने का प्रयास किया, लेकिन अपीलकर्ता इस पर सहमत नहीं हुए। इस पर मृतका की माँ ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई और 156(3) क्रिमीनल प्रोसिजर कोड के तहत संज्ञान लेते हुए, अदालत नें जाँच का निर्देश दिया। (पेरा 19) (672-D-H; 673-A-G)

2.2 अधिनस्थ न्यायालय आपराधिक मामले की शुरूआत में होने वाली देरी के स्पष्टीकरण में पूरी तरह से संतुष्ट था। स्वीकृत है कि लगभग दो महिनों की देरी थी, लेकिन साक्षात्कारी गवाहों विशेष रूप से, पी.डब्ल्यू. 1, 2, 3 और 8 द्वारा यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि अपीलकर्ता ने भूमि को बच्ची के नाम पर हस्तानांतरित कर दिया था और जैसा समझौता किया गया था, वहाँ कोई आपराधिक नहीं दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। बाद में, जब अपीलकर्ता और उसकी माँ ने बच्ची की ठीक से देखभाल नहीं की, जो शिकायत दर्ज की गई। रिकॉर्ड पर साक्ष्य है कि मृतका के परिवार के सदस्यों द्वारा बच्ची की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी

प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। अपीलकर्ता को इसके खिलाफ दूसरे किसी व्यक्ति के हित में अपीलकर्ता को किसी भी माध्यम से अचल संपति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तानांतरित करने से रोकने के लिए एक सिविल मुकदमा भी दायर किया गया था। (पेरा 20) (673-G-H; 674-A-C)

2.3 प्राथमिक अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि डी.डब्ल्यू. 1, अपीलकर्ता और मृतका की एकमात्र संतान है जिसने परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता और मृतक की एकमात्र संतान डी.डब्ल्यू. 1 ने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए झूठी गवाही दी और वह केवल एक सिखाई गई गवाह थी। ऐसे अन्य तथ्य भी थे कि जब मृतका कथित तौर पर पेट दर्द की शिकायत कर रहा था तो बच्ची अपनी मां के साथ नहीं बल्कि अपनी दादी के साथ बिस्तर पर थी। ऐसा कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह स्थापित हो सके कि मृतका पहले से इतनी गंभीर रूप से बीमार थी। (पेरा 21) (674-C-E)

2.4 स्वतंत्र गवाहों ने गवाही दी कि जब उन्हे पता चला कि अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु हो गई है, वे घटना स्थल पर पहुँचे और देखा कि जिस कमरे में मृतका का मृत शरीर पाया गया उस कमरे का दरवाजा अंदर से लीवर उठाकार खोला गया। मृतका का शव दोहरी खाट पर घुटनों के बल बैठी हुई मुद्रा में था और साडी से बंधा हुआ पंखे से लटका हुआ था। इसलिए, यह अनुमान लगाया गया कि यह आत्महत्या का मामला था अन्यथा, कमरे को अंदर से बंद करने का कोई अवसर नहीं था। (पेरा 22) (674-E-G)

2.5 विभिन्न अन्य परिस्थितियों, विशेष रूप से दिनांक 14.3.1990 के समझौते को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पति और पत्नी के बीच

संबंध मधुर नहीं थे, और अपीलकर्ता की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे परेशान किया गया था। क्योंकि वह अचल संपत्ति का निपटान करना चाहता था और मृतका को उसके माता पिता से अधिक पैसे लाने के लिए मजबूर करना चाहता था। दिनांक 14.6.1999 (Ex.P.1) के विलेख का निष्पादन यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए मृतका के परिवार के सदस्यों को रोकने के लिए इसे निष्पादित किया गया था। न्यायालय ने अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा, कि अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु अपीलकर्ता के घर में हुई थी; न तो अपीलकर्ता और ना ही उसकी माँ ने मृतका के परिवार के सदस्यों को मृत्यु के बारे में सूचित करने का कोई प्रयास किया; उसके शव का बिना किसी शव परीक्षण के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया था; पीडब्लू 5 आदि जैसे स्वतंत्र गवाह थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसे इस हद तक परेशान किया गया था कि मृतका ने आत्महत्या कर ली। अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498ए के तहत आरोप को पूरी तरह से सही पाया। (पेरा 23) (674-G-H; 675-A-C)

3. उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की सराहना करते हुए बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई जाँच के विपरीत एक भिन्न दृष्टिकोण बनाने के लिए कोई उचित योग्य कारण नहीं है। (पेरा 24) (675-D)

मामला कानून संदर्भः

एआईआर 1999 एस सी 1318	से संदर्भित किया गया है	पैरा 12
एआईआर 1994 एस सी 710	से संदर्भित किया गया है	पैरा 13
(2002) 7 एससीसी 414	से संदर्भित किया गया है	पैरा 14
एआईआर 2000 एससी 3559	से संदर्भित किया गया है	पैरा 15

एआईआर 2005 एससी 3100 से संदर्भित किया गया है पैरा 16

एआईआर 2002 एससी 2078 से संदर्भित किया गया है पैरा 17

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः आपराधिक अपील 594/2004

उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, हैदराबाद की अदालत ने आपराधिक अपील सं 1692/2001 के निर्णय और आदेश दिनांकित 22.10.2003 से।

एटीएम रंग रामानुजम, अनु गुप्ता, गौरी करुणा दास, अपीलार्थी के लिए रानी जेठमलानी।

डी रामकृष्ण रेड्डी, डी भारती रेड्डी, वी प्रभाकर उत्तरदाता के लिए राव।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ बीएस चौहान, जे 1. यह अपील आपराधिक अपील संख्या 1692/2001 और 711/2002 में हैदराबाद में आंध्रप्रदेश के फ्लाइट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 22.10.2003 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सैशन जज पूर्वी गोदावरी जिला राजामुंडरी के निर्णय व आदेश दिनांक 31.10.2001 एस.सी. संख्या 1/2000 जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में) में दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया की पुष्टि की।

2. इस अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ

यह है कि उंदाविल्ली वीरायम्मा, पीडब्लू 1 शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता उंदावल्ली नारायण राव पति, और उंदावल्ली वीरायम्मा उर्फ विज्जम्मा मृतका की सास, मालाथी देवी के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। उन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अधिक दहेज के लिए मृतिका को परेशान किया था और मृतका और

अपीलकर्ता के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के कारण, एक समझौता निष्पादित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को उक्त समझौता में उल्लिखित संपत्तियों से निपटने या अलग करने से रोक दिया गया था। उक्त समझौता के निष्पादन के बाद मृतका ने अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध बहाल कर दिए और वे नौ साल तक साथ रहे। इस अवधि के दौरान मृतका ने लगातार अपीलकर्ता और उसकी माँ के व्यवहार के बारे में अपनी माँ श्रीमती से शिकायत की। उंदाविल्ली वीरायम्मा पीडब्लू 1 और अन्य रिश्तेदारों और अपीलकर्ता और उसकी मां के हाथों उत्पीड़न जारी रहा।

3. यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने 5.6.1999 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी और यह दिखाने के लिए कि मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। उसके शव का सह अभियुक्त मन्यन नारायण राव, वल्लुरी गंगाधर राव और चिल्ली कुरीराजशेखरा राव की सहायता से मृतका के माता पिता को सूचित किए बिना, जो हैदराबाद में थे, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि मृतका के करीबी रिश्तेदारों ने इस अंतिम संस्कार पर आपत्ति जताई थी। लेकिन उनकी आपत्तियों के बावजूद, मृतका का दाह संस्कार किया गया।

4. मृतका के माता पिता के आने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया और जबकि मृतका की मां श्रीमती उंदाविल्ली वीरायम्मा पीडब्लू 1 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने वाली थी, तो एक मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों के मध्य समझौता करने की कोशिश की गई, जिसके परिणामस्वरूप दोषी द्वारा मृतका के छोटे बच्चे के पक्ष में एक पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से कुछ जमीन को छोड दिया गया क्योंकि आपसी बातचीत एवं सोच-विचार के बाद यह कहा गया कि आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जावेगा। हांलाकि, बाद में दोषी नें मृतका के छोटे बच्चे को उसके नाना-नानी के पास जाने की अनुमति देने से इंकार किया। तत्पश्चात श्रीमती उंदाविल्ली वीरायम्मा पीडब्लू 1 एक एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन से संपर्क किया

और चूंकि असामान्य देरी हुई इसलिए पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक निजी शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर अतिरिक्त जे.एफ.सी के समक्ष पीआरसी 27/99 दर्ज की गई। मजिस्ट्रेट, पेद्दापुरम सुनवाई के लिए अदालत में आए।

5. कमिटमेंट होने के उपरांत आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध उसकी माँ के विरूद्ध आईपीसी की धारा 201 के तहत सभी पाँचों अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किए गए जिससे अभियुक्तगण नें निर्दोष होनें का अभिवाक किया। विचारण के दौरान लोक अभियोजक ने धारा 498ए भा.द.स. का अतिरिक्त आरोप विरचित किए जाने की प्रार्थना की जिसके अनुसार अपीलार्थी व उसकी माता के विरूद्ध उक्तानुसार आरोप विरचित किया गया।

6. अभियोजन के मामले को सिद्ध करने के लिए 11 साक्षीगण परीक्षित किए गए। सम्पूर्ण स्तर पर विचारण के बाद विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आरोप भा.द.स. की धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.स. अपीलार्थी व उसकी माता तथा अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं बनते है। एकेले अपीलार्थी को धारा 498ए भा.द.स. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास से निर्णय व आदेश दिनांक 31.10.2001 के माध्यम से दण्डित किया गया। सह अभियुक्त मनयन नारायण राव की दौराने विचाराधीन मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध विचारण शमन किया गया।

7. विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निष्कर्ष जिसके माध्यम से अपीलार्थी को 498ए भा.द.स. के तहत दोषी करार दिया गया था, से पीडित अपीलार्थी ने फौजदारी अपील संख्या 1612/2001 प्रस्तुत की। राज्य की ओर से फौजदारी अपील संख्या 711/2002 अन्य अभियुक्तगण व अपीलार्थी की दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत

की। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 22.10.2003 के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व आदेश 31.10.2001 की पुष्टि की अर्थात दोनो अपीलों को निरस्त किया। राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश को इस अपील में चुनौती नहीं दी गई। केवल अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि व सजा के खिलाफ यह अपील दायर की है जो धारा 498ए भा.द.स. के अपराध तक सीमित है।

8. श्री ए.टी.एम. रंगारामानुजम, वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह प्रकट किया कि अभियोजन 498ए भा.द.स. का आरोप अपीलार्थी के विरूद्ध साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। निचली अदालतों ने अपीलकर्ता की बेटी ची उंदावल्ली नंदा अनुराधा साई कृष्णा डी डब्लयू 1 और इस मुद्दे पर अन्य गवाहों पर भी अविश्वास करके गलती की है कि अपीलकर्ता की पत्नी की पेट दर्द के कारण स्वाभाविक मौत हुई थी। दिनांक 14.3.1990 के एक समझौते के निष्पादन के बाद उत्पीड़न या क्रूरता की कोई शिकायत नहीं थी दहेज के लिए कभी कोई मांग नहीं की गई। मृतक के परिवार द्वारा आपराधिक मामला दर्ज कराने में अत्यधिक देरी की गई। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी. रामा कृष्ण रेड्डी ने अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि नीचे की दोनों अदालतों ने अपीलकर्ता की बेटी पर अविश्वास कियाए जो केवल साढ़े आठ साल की एक बच्ची थी और उस पर शिक्षित गवाह का लेबल लगाता है। शादी की तारीख से लेकर उसकी मृत्यु तक, अपीलकर्ता द्वारा पत्नी को लगातार परेशान किया गया और मानसिक और शारीरिक यातना दी गई। अपीलकर्ता आदतन शराबी था और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था, जिसके कारण उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए, अपील में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है ।

11. आईपीसी की धारा 498ए के प्रावधान इस प्रकार हैं --

498ए किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है। जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता का अर्थ है -

(ए) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो;

(बी) महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर दबाव डालने की दृष्टि से होता है या उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे पूरा करने में विफलता के कारण होता है ।

ऐसी मांग क्रूरता को धारा में जोड़े गए स्पष्टीकरण द्वारा ही परिभाषित किया गया है। धारा 498ए आईपीसी की मूल सामग्री क्रूरता और उत्पीड़न हैं जहां तक खंड (ए) का संबंध है, क्रूरता के तत्वों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है -

(i) कोई भी जानबुझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को

आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके; या

(ii) कोई भी जानबूझकर आचरण जिससे महिला को गंभीर चोट लगने की संभावना हो;

या

(iii) कोई भी जानबूझकर किया गया कार्य जिससे महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य,

चाहे शारीरिक हो या मानसिक, को खतरा होने की संभावना हो।

खंड (बी) के प्रयोजन के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार हैं -

(i) एक विवाहित महिला का उत्पीड़न

(ii) उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को दहेज या किसी संपत्तिया मूल्यवान

सुरक्षा की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से या ऐसी

मांग को पूरा करने में उसकी विफलता या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति की विफलता के कारण। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 498ए के तहत आरोप लगाया गया है यदि खंड (ए) या (बी) या दोनों में आवश्यक सामग्री विधिवत स्थापित

पाई जाती है तो घर लाया जा सकता है।

12. एस. हनुमंता राव बनाम एस. रामानी एआईआर 1999 एस-सी- 1318 में, इस न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत प्रावधानों के संदर्भ में क्रूरता के अर्थ पर विचार किया और कहा कि मानसिक क्रूरता का मोटे तौर पर मतलब है, जब कोई भी पक्ष इतनी बड़ी मानसिक पीड़ा पहुंचाता है कि यह पत्नी और पति के बीच के बंधन को तोड़ देता है और जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्ष के

लिए दूसरे के साथ रहना असंभव हो जाता है पार्टी। दूसरे शब्दों में, जिस पार्टी ने गलत किया है, उससे दूसरी पार्टी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जाती है।

13. वी भगत बनाम श्रीमती डी भगत एआईआर 1994 एससी 710 में, इस अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में क्रूरता के मुद्दे से निपटते हुए निम्नानुसार कहा:

> "17.......यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है कि याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते समय, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए पार्टियों के बारे में, जिस समाज में वे रहते हैं, पार्टियों के पहले से ही अलग रहने की स्थिति में उनके एक साथ रहने की संभावना या अन्यथा और अन्य सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ जिन्हें विस्तृत रूप से बताना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। क्रूरता क्या है एक मामला दूसरे मामले में क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता है। यह प्रत्येक मामले में उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला मामला है। यदि यह आरोपों और आरोपों का मामला है, तो संदर्भ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें वे बनाए गए थे....... जिस संदर्भ और संरचना में अनुभाग में "क्रूरता" शब्द का उपयोग किया गया है, हमें ऐसा लगता है कि क्रूरता में इरादा आवश्यक तत्व नहीं है। उस शब्द को वैवाहिक शब्द के सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए मामले अगर इरादा नुकसान पहुंचाने, परेशान करने या चोट पहुंचाने का हो सकता है जिस आचरण या क्रूर कृत्य की शिकायत की गई है उसकी प्रकृति के आधार पर क्रूरता को आसानी से स्थापित

किया जा सकता है। लेकिन इरादे की अनुपस्थिति से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मानवीय मामलों में सामान्य समझ से, जिस कार्य की शिकायत की गई है उसे अन्यथा क्रूरता माना जा सकता है।"

14. मोहम्मद होशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2002) 7 एससीसी 414, इस न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे से निपटते हुए कहा कि आरोपी द्वारा पत्नी पर मानसिक या शारीरिक अत्याचार "लगातार" किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे इस प्रकार कहा:

"क्या एक पति या पत्नी दूसरे के प्रति क्रूरता का दोषी है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। किसी व्यक्ति पर क्रूरता की शिकायत, आरोप या ताने देना संबंधित पीड़ित की संवेदनशीलता, सामाजिक पृष्ठ भूमि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। पर्यावरण, शिक्षा आदि। इसके अलावा, मानसिक क्रूरता संवेदनशीलता की तीव्रता और ऐसी मानसिक क्रूरता का सामना करने के साहस या सहन शक्ति की डिग्री के आधार पर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में, निर्णय लेने के लिए प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करना पड़ता है मानसिक क्रूरता स्थापित हुई या नहीं।"

15. श्रीमती में श्रीमती राज रानी बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) एआईआर 2000 एससी 3559, इस न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 498ए के प्रावधानों के संदर्भ में क्रूरता के मामले पर विचार करते समय, अदालत को यह जांचना चाहिए

कि आरोप/ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के होने चाहिए और उचित संदेह से परे साबित होने चाहिए।

16. सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत एआईआर 2005 एस-सी- 3100 में, इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 306 और 498ए के तहत प्रदान की गई क्रूरता के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 498ए के तहत पति या उसके रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। आदि जबकि आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना और इरादा करना है। इसलिए, उक्त प्रावधानों को लागू करने में मंशा का बुनियादी अंतर है।

17. गिरधर शंकर तावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य में, एआईआर 2002 एससी 2078; इस न्यायालय ने माना कि "क्रूरता " को आईपीसी की धारा 498ए में दिए गए एक विशिष्ट वैधानिक अर्थ के साथ समझा जाना चाहिए, और लगातार एक के द्वारा दूसरे को प्रताड़ित करने की स्थिति बनी रहे। स्पष्टीकरण "ब" में, शारीरिक चोट का अभाव है, लेकिन इस में दहेज आदि की मांग के लिए जबरदस्ती उत्पीड़न शामिल है, इसलिए उपरोक्त प्रावधान पति या उसके परिवार के सदस्यों के पेटेंट और अव्यक्त कृत्यों से संबंधित हैं। लेकिन क़ानून के प्रावधानों के मामले में दोनों समान रूप से गंभीर है।

18. प्रथागत दायित्वों की पूर्ति की आड़ में दहेज आदि की मांग के लिए एक महिला को उसके पति और/या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए आईपीसी की धारा 498ए के प्रावधानों को एक संशोधन द्वारा पेश किया गया था।

19. मौजूदा मामले की तयशुदा कानूनी प्रस्तावों के आलोक में जांच की जानी आवश्यक है। अपीलकर्ता का विवाह 14.6.1987 को मालाथी देवी [मृतका] से हुआ था।

रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को दहेज के रूप में 50,000 रूपये नगद, 3.00 एकड खेती की भूमि और 6.00 एकड आम का बाग सहित 50 तोला सोना और 2 किलोग्राम चांदी दिए गए। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह भी पता चला है कि शादी के लगभग दो साल बाद, मृतका को अपीलकर्ता के साथ साथ उसकी मां द्वारा भी परेशान किया जा रहा था। मांग थी कि उसके नाम की संपत्ति बेची जाए और मृतका अपने माता पिता से और पैसे लाए। मृतका को अपीलकर्ता ने पीटा था और घर से बाहर निकाल दिया था। मृतका मालाथी देवी ने अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से शिकायत की कि अपीलकर्ता हमेशा नशे में रहता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। हालाँकि, समुदाय के बड़े सदस्यों के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया और दिनांक 14.3.1990 को एक समझौता किया गया, जिसमें कहा गया था कि पति पत्नी के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति उनके बच्चों के लिए संरक्षित की जाएगी और उनमें से कोई भी अपना हिस्सा अलग नहीं करेगा। हालाँकि, उन्हें इसके लाभ का आनंद लेने का अधिकार होगा। कुछ समय बाद, अपीलकर्ता और उसकी मां ने मृतका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह उक्त समझौते का उल्लंघन करते हुए जमीन को अलग कर दे और वह अपने माता पिता से पैसे लाए। अपीलकर्ता की मां ने भी मृतका को धमकी दी कि यदि वह भूमि के उक्त हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं हुई, तो वह अपने बेटे की दूसरी लड़की से दोबारा शादी कर देगी। मृतका ने 25.5.1999 को अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया। हालाँकि, 26.5.1999 को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे वापस ले लिया गया और अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों के परामर्श से और कुछ अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से विवाद शांत हो गया। इस बात का संकल्प लिया गया कि भविष्य में कोई झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद, जब मृतका के परिवार के सदस्य हैदराबाद गए, तो मालाथी को 5 जून,1999 को मृत पाया गया।

6 जून,1999 को बिना किसी पोस्टमार्टम के और परिवार के सदस्यों को कोई सूचना दिए बिना, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब मृतका के परिवार के सदस्य आए और अपीलकर्ता से मिले, तो उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों ने विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, और मामले की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी और उस विचार के लिए, अपीलकर्ता और उसकी माँ ने अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। अपीलकर्ता एवं उसकी माँ अपीलार्थी की संपति मृतका की एक मात्र संतान के नाम पर स्थानांतरित करनें हेतु सहमत हो गए। परिणामस्वरूप Ex.P.2 दिनांक 15 जून,1999 को अपीलकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी ची उंदाविली नंदा अनुराधा साई कृष्णा DW.1 के बीच एक विभाजन विलेख होने का दावा करते हुए निष्पादित और पंजीकृत किया गया था। उक्त विभाजन विलेख के अनुसार 11.69 सेंट जमीन बेटी को दे दी गई, कुछ समय बाद, यह मृतका के परिवार के सदस्यों को पता चला कि बच्चे का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपीलकर्ता के परिवार से संपर्क किया और बच्चे को अपनी अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया लेकिन अपीलकर्ता इसके लिए सहमत नहीं हुआ। इस प्रकार, मृतका की मां ने आपराधिक शिकायत दर्ज की और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156[3] के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालत ने जांच के निर्देश दिए ।

20. ट्रायल कोर्ट आपराधिक मुकदमा शुरू करने में देरी के स्पष्टीकरण से पूरी तरह संतुष्ट था। माना कि इसमें करीब 2 महीने की देरी हुई लेकिन इसका पूरा स्पष्टीकरण दिया गया विशेष रूप से गवाह, उंदाविल्ली वीरायम्मा [पीडब्लू1], उंदाविल्ली वारा प्रसाद रामचंद्र मूर्ति [पीडब्लू2], गोली अम्मन्ना चौधरी [पीडब्लू3] और काकरा कृष्णमूर्ति [पीडब्लू8] कि अपीलकर्ता ने नाबालिग बच्चे के नाम पर जमीन हस्तांतरित कर दी थी और जैसा कि सहमति हुई थी, न हीं आपराधिक मामला दर्ज होना था, इसके बाद, जब अपीलकर्ता और उसकी मां ने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की, तो

शिकायत दर्ज की गई। रिकॉर्ड पर इस बात के सबूत हैं कि मृतका के परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे की कस्टडी की मांग के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू की गई थी। अपीलकर्ता को किसी भी माध्यम से अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित करने से रोकने के लिए एक सिविल मुकदमा भी दायर किया गया था।

21. ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ची उंदावल्ली नंदा अनुराधा साई कृष्णा DW.1, जिसका जन्म 01.01.1991 को हुआ था, जो अपीलकर्ता और मृतका की एक मात्र संतान थी, ने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए झूठी गवाही दी और वह महज एक "प्रशिक्षित गवाह" थी। ऐसी अन्य परिस्थितियां भी थीं कि जब मृतका कथित तौर पर पेट दर्द की शिकायत कर रहा थी तो बच्ची अपनी मां के साथ नहीं बल्कि अपनी दादी के साथ बिस्तर पर थी। ऐसा कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि मृतका पहले से इतनी गंभीर रूप से बीमार थी ।

22. स्वतंत्र गवाहों ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि मालाथी देवी की मृत्यु हो गई है, तो वे घटना स्थल पर पहुंचे और देखा कि जिस कमरे में उनका शव मिला था, उसे अंदर से लीवर उठाकर खोला गया था। मृतका का शव दोहरी खाट पर घुटनों के बल बैठी हुई मुद्रा में था और साड़ी से बंधा हुआ पंखे से लटका हुआ था। इसलिए, यह अनुमान लगाया गया कि यह आत्महत्या का मामला था अन्यथा, कमरे को अंदर से बंद करने का कोई अवसर नहीं था ।

23. विभिन्न अन्य परिस्थितियों, विशेष रूप से दिनांक 14.3.1990 के समझौते को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पति और पत्नी के बीच संबंध मधुर नहीं थे, और गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे परेशान किया गया था। क्योकिं अपीलकर्ता अपनी संपति बेचना चाहता था और मृतका को अपने

माता-पिता से अधिक पैसे लाने के लिए मजबूर करना चाहता था। दिनांक 15.6.1999 [Ex.P.1] के विलेख का निष्पादन यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए मृतक के परिवार के सदस्यों को रोकने के लिए इसे निष्पादित किया गया था। न्यायालय ने अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा, जैसे कि मृतका की मृत्यु अपीलकर्ता के घर में हुई थी; न तो अपीलकर्ता और न ही उसकी माँ ने मृतका के परिवार के सदस्यों को मृत्यु के बारे में सूचित करने का कोई प्रयास किया; उसके शव का बिना किसी शव परीक्षण के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया था; सुनकारा नागराजू; [पीडब्लू5] आदि जैसे स्वतंत्र गवाह थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसे इस हद तक परेशान/मजबूर किया गया था कि मालाथी ने आत्महत्या कर ली। अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498 ए के तहत आरोप को पूरी तरह से सही पाया ।

24. उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की सराहना करने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। हमें अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत कोई दृष्टिकोण अपनाने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। अपील में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उनके जमानत बांड और जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं। शेष सजा काटने के लिए उसे हिरासत में लिया जाएगा।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ रुबीना परवीन अंसारी (आर जे एस) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा । और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।